

कार्यालय आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी

खुली बिक्री योजना
"विशेष आवंटन"

योजना की
प्रारम्भ तिथि
23.06.2016

आवासीय योजना अरावली विहार भिवाडी में पूर्व पंजीकृत एवं नए आवेदकों के लिए नकद भुगतान / किराया क्रय पद्धति में खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत बहुमंजिले आवास प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर।

योजना की
अन्तिम तिथि
30.06.2016

फ्लेट आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रत्येक कार्य दिवस को अपरान्ह 03.00 बजे तक प्राप्त किए जाकर उसी दिन सांय 04.00 बजे उपस्थित आवेदकों के समक्ष वरीयता के आधार पर / लॉटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा।

1. खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध बहुमंजिले आवासों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं	आय वर्ग	फ्लेट्स की संख्या	लागत	क्षेत्रफल (व. मी.)	फ्लेट संख्या
EWS (G+3) Aravali Vihar, Bhiwadi					
1	EWS (G.F)	19	1005700.00	42.625	10/66, 10/81, 10/114, 10/116, 10/147, 10/193, 10/228, 10/243, 10/388, 10/417, 10/435, 10/436, 10/452, 10/468, 10/516, 10/531, 10/626, 10/628, 10/675
2	EWS (F.F)	21	958700.00	36.431	10/8, 10/21, 10/72, 10/117, 10/120, 10/152, 10/184, 10/261, 10/264, 10/280, 10/311, 10/325, 10/392, 10/408, 10/439, 10/455, 10/469, 10/519, 10/534, 10/662, 10/677
3	EWS (S.F)	23	947000.00	34.882	10/10, 10/27, 10/74, 10/106, 10/137, 10/170, 10/185, 10/202, 10/217, 10/220, 10/235, 10/315, 10/361, 10/377, 10/394, 10/411, 10/425, 10/426, 10/442, 10/491, 10/506, 10/537, 10/539

4	EWS (T.F)	08	923500.00	31.785	10/189, 10/191, 10/192, 10/208, 10/287, 10/495, 10/525, 10/543
LIG (G+3) Aravali Vihar, Bhiwadi					
5	LIG (G.F)	05	1572100.00	61.432	9/33, 9/115, 9/146, 9/163, 9/242
6	LIG (F.F)	03	1490900.00	52.102	9/21, 9/85, 9/183
7	LIG (S.F)	02	1470600.00	49.769	9/172, 9/250
8	LIG (T.F)	08	1430000.00	45.103	9/77, 9/79, 9/112, 9/125, 9/159, 9/174, 9/192, 9/255
MIG-A (G+3) Aravali Vihar, Bhiwadi					
9	MIG-A (G.F)	03	2510900.00	86.533	8/131, 8/145, 8/225
10	MIG-A (F.F)	06	2363600.00	72.000	8/05, 8/149, 8/182, 8/231, 8/263, 8/278
11	MIG-A (S.F)	08	2326700.00	68.367	8/11, 8/140, 8/188, 8/202, 8/204, 8/266, 8/284, 8/298
12	MIG-A (T.F)	08	2253000.00	61.100	8/13, 8/16, 8/176, 8/239, 8/240, 8/256, 8/272, 8/288

2. आवेदन पत्र के साथ जमा करायी जाने वाली राशि का विवरण:-

क्र. सं.	आवास / फ्लेट की श्रेणी	वार्षिक आय	आवेदन पत्र के साथ देय राशि (रूपयें में)				
			पंजीकरण राशि	पूर्व ग्रहण राशि	कुल राशि	सेवाकर	कुल देय राशि
1	EWS	100000.00 तक	7000.00	5000.00	12000.00	540.00	12540.00
2	LIG	100001.00 से 250000.00 तक	15000.00	10000.00	25000.00	1125.00	26125.00
3	MIG-A	250001.00 से 450000.00 तक	50000.00	40000.00	90000.00	4050.00	94050.00
4	MIG-B	450001.00 से 600000.00 तक	80000.00	70000.00	150000.00	6750.00	156750.00
5	HIG	600001.00 से अधिक	120000.00	100000.00	220000.00	9900.00	229900.00

नोट :-

1. आवास/फ्लेट का आवंटन "जहां है जैसा है" की अवस्था में किया जावेगा।
2. नगद भुगतान पद्धति के आवेदकों को वरीयता दी जावेगी।
3. इस योजना की अन्य भातें मण्डल की वेबसाईट (www.rhbonline.rajasthan.gov.in) व कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

—:सम्पर्क सूत्र:—

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल
आशियाना ग्रीन के सामने, भिवाडी
दूरभाष नम्बर :- 01493-230484

नियम एवं भातें

01. इस योजना के आवेदन फार्म आवासीय अभियन्ता, खण्ड भिवाडी के कार्यालय से राशि **रु. 300.00** नकद भुगतान कर कार्यालय समय में प्राप्त किए जा सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम दिवस तथा तदपचात के दिवसों को उपलब्ध सूची, योजना के नक्शे, अन्य भातें खण्ड भिवाडी के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती हैं।
02. इस योजना के अन्तर्गत आवासों की उपलब्धता के आधार पर आवासों की संख्या घटत-बढत की जा सकती है। आवास "जहाँ है, जैसे हैं" की स्थिति में आवंटित किए जावेंगे।
03. इस योजना में आवास आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रत्येक दिवस को अपरान्ह 3.00 बजे तक आवेदन पत्र प्रमाण पत्र एवं आय वर्गानुसार निर्धारित राशि का ड्राफ्ट जो कि राजस्थान आवासन मण्डल भिवाडी के पक्ष में देय हो के साथ खण्ड कार्यालय भिवाडी में जमा कराए जा सकेंगें।
04. प्रत्येक कार्य दिवस में प्राप्त होने वाले आवेदनों में से आवास का आवंटन उसी दिन सांयकाल 4.00 बजे उपस्थित आवेदकों के समक्ष वरीयता के आधार पर/लॉटरी निकाल कर किया जावेगा। यह लॉटरी खण्ड कार्यालय भिवाडी में निकाली जावेगी। वरीयता का निर्धारण बिन्दु संख्या 14 के अनुसार किया जावेगा।
05. इस योजना के अन्तर्गत आवेदकों को आवास न मिलने की स्थिति में आवेदक द्वारा जमा कराया गया मूल ड्राफ्ट वापस लौटा दिया जावेगा। आवेदक स्वयं खण्ड कार्यालय भिवाडी से अपना मूल ड्राफ्ट व्यक्तिशः प्राप्त कर सकते हैं।
06. आवेदक इच्छानुसार आवास क्रय करने हेतु आवेदन पत्र में वरीयतानुसार तीन आवासों के नम्बर विकल्प स्वरूप अंकित कर सकता है।
07. इच्छित आवास न मिलने की स्थिति में जमा कराई गई राशि का ड्राफ्ट अगले दिन किसी अन्य विकल्प हेतु वैध रहेगा तथा पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा या ड्राफ्ट वापस प्राप्त कर सकेगा।
08. पूर्व पंजीकृत आवेदकों द्वारा पूर्व में जमा राशि का समायोजन आवंटन के उपरान्त कब्जे से पूर्व देय एक मुद्रा राशि में किया जा सकेगा। पूर्व में पंजीकृत आवेदक को संलग्न प्रारूपानुसार प्रथम श्रेणी दण्डनायक द्वारा प्रमाणित 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे अपने पंजीकरण पत्र मण्डल द्वारा पूर्व में कोई आवास आवंटित नहीं किया गया है तथा ना ही पंजीकरण के पेटे जमा राशि वापस ली गई है अथवा पंजीकरण निरस्त नहीं हुआ है। यदि इसमें कोई तथ्य गलत पाया गया तो आवास का वर्तमान आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
09. आवेदकों को संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर आय सम्बंधी भापथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक के पति/पत्नी को अलग से आय सम्बंधी भापथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. आवास की भूमि 99 वर्ष की लीज पर होगी तथा आवंटी को लीज की राशि दो अर्द्धवार्षिक किस्तों में प्रति वर्ष जनवरी एवं जुलाई में मण्डल नियमानुसार निर्धारित समयावधि में जमा करानी होगी। 8 वर्ष की लीज राशि एक मुशत जमा कर भविश्य की लीज राशि की किस्तों से मुक्त हो सकते हैं।
11. आवंटन निरस्तकरण पर जमा राशि में से 20 प्रतिशत राशि मय सेवाकर की कटौती की जावेगी एवं किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
12. आवेदकों को आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि में पूर्ण राशि जमा करवानी होगी।
13. कोई भी आवेदक अपने आय वर्ग से एक श्रेणी ऊपर के आवास के लिए या एक श्रेणी नीचे के आवास के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उससे ऊपर वाले आय वर्ग की पंजीकरण एवं पूर्वग्रहण राशि जमा करवानी होगी। उदाहरण के तौर पर मध्यम आय वर्ग 'अ' की श्रेणी वाला आवेदक यदि मध्यम

आय वर्ग 'ब' के आवास हेतु विकल्प देता है तो मध्यम आय वर्ग 'ब' की पंजीकरण एवं पूर्वग्रहण की निर्धारित राशि जमा करायेगा। यदि वह वह अल्प आय वर्ग आवास हेतु आवेदन करता है तो उसे मध्यम आय वर्ग 'अ' हेतु निर्धारित राशि जमा करवानी होगी।

14. एक ही आवास के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में निम्न वर्णित वरीयता के आधार पर आवंटन किया जावेगा :-
 1. भिवाडी भाहर के नकद भुगतान पद्धति के पूर्व पंजीकृत आवेदक।
 2. भिवाडी भाहर के किराया क्रय पद्धति के पूर्व पंजीकृत आवेदक।
 3. नए नगद भुगतान पद्धति के आवेदक।
 4. नए किराया क्रय पद्धति के आवेदक।
15. प्रथम बार में उपरोक्त वरीयता क्रम के क्रमांक 1 के समस्त (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) विकल्प अनुसार आवेदकों को आवास/फ्लेट्स का आवंटन किया जावेगा, तत्पश्चात् उसी अनुसार क्रमांक 2, 3 व 4 के आवेदकों को आवास/फ्लेट्स का आवंटन किया जावेगा।
16. यदि इस योजना में कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक आवास प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसकी पत्रावली मूल वरीयतानुसार भविष्य में आवंटन हेतु रख दी जावेगी।
17. पूर्व पंजीकृत आवेदक को आवंटित आवास अस्थाई रूप से प्रस्तावित माना जावेगा। मूल पंजीकरण पत्रावली के साथ आवेदन पत्र की जांच के पश्चात् ही आवंटन पत्र जारी किया जावेगा।
18. आवेदन पत्र एवं पासपोर्ट साईज की फोटो राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर जमा करवाना होगा।
19. पूर्व पंजीकृत आवेदक जिनका पूर्व में आवंटन होने के पश्चात् पंजीकरण एवं निरस्त किया जा चुका है एवं उन्होंने पंजीकरण राशि मण्डल से लेने हेतु प्रार्थना पत्र एवं अग्रिम रसीद एवं मूल चालान जमा नहीं कराए हैं वे पूर्व पंजीकृत आवेदक नहीं माने जायेंगे।
20. आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की नियमानुसार कमी पाये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जावेगा।
21. आवेदन पत्र में आवासों की दर्शाई गई लागत के अतिरिक्त कोने के आवास हेतु अतिरिक्त लागत व कोने के आवास के खर्चे मण्डल नियमानुसार देय होंगे इसके अतिरिक्त लीज, एन्सलरी चार्ज, सेवाकर व अन्य विविध खर्चे मण्डल नियमानुसार देय होंगे।
22. आवेदक को आवेदन पत्र की मांग राशि जमा कराने के बाद चालान की तृतीय प्रति एवं मण्डल नियमानुसार कब्जे सम्बंधी प्रपत्र प्रमाणित करवाकर खण्ड कार्यालय भिवाडी में प्रस्तुत करने होंगे, तत्पश्चात् ही मकान का कब्जा दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

विशेष :-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग 'अ' के सफल आवेदक को सोसायटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा तथा उसके लिए सोसायटी राशि क्रमशः रू. 5400.00, 7200.00 व 9000.00 कब्जा प्राप्त करने से पूर्व जमा करवाने होंगे।

राजस्थान आवासन मण्डल

ईगिड मास्कर

खुली बिक्री योजना
"विशेष आवंटन अभियान"

22-06-2016

पेज = 9

योजना की प्रारम्भ तिथि
23.06.2016

आवासीय योजना अरावली विहार भिवाडी में पूर्व पंजीकृत एवं नए आवेदकों के लिए नकद भुगतान/ किराया क्रय पद्धति में खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत बहुमंजिले आवास प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर।

योजना की अन्तिम तिथि
30.06.2016

प्लेट आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रत्येक कार्य दिवस को अपराह्न 03.00 बजे तक प्राप्त किए जाकर उसी दिन सांय 04.00 बजे उपस्थित आवेदकों के समक्ष वरीयता के आधार पर/ सॉटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा।

1. खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध बहुमंजिले आवासों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	आय वर्ग	प्लेट्स की संख्या	लागत	क्षेत्रफल (व. मी.)	प्लेट संख्या
EWS (G+3) Aravali Vihar, Bhiwadi					
1	EWS (G.F)	19	1005700.00	42.625	10/66, 10/81, 10/114, 10/116, 10/147, 10/193, 10/228, 10/243, 10/388, 10/417, 10/435, 10/436, 10/452, 10/468, 10/516, 10/531, 10/626, 10/628, 10/675
2	EWS (F.F)	21	958700.00	36.431	10/8, 10/21, 10/72, 10/117, 10/120, 10/152, 10/184, 10/261, 10/264, 10/280, 10/311, 10/325, 10/392, 10/408, 10/439, 10/455, 10/469, 10/519, 10/534, 10/662, 10/677
3	EWS (S.F)	23	947000.00	34.882	10/10, 10/27, 10/74, 10/106, 10/137, 10/170, 10/185, 10/202, 10/217, 10/220, 10/235, 10/315, 10/361, 10/377, 10/394, 10/411, 10/425, 10/426, 10/442, 10/491, 10/506, 10/537, 10/539
4	EWS (T.F)	08	923500.00	31.785	10/189, 10/191, 10/192, 10/208, 10/287, 10/495, 10/525, 10/543
LIG (G+3) Aravali Vihar, Bhiwadi					
5	LIG (G.F)	05	1572100.00	61.432	9/33, 9/115, 9/146, 9/163, 9/242
6	LIG (F.F)	03	1490900.00	52.102	9/21, 9/85, 9/183
7	LIG (S.F)	02	1470600.00	49.769	9/172, 9/250
8	LIG (T.F)	08	1430000.00	45.103	9/77, 9/79, 9/112, 9/125, 9/159, 9/174, 9/192, 9/255
MIG-A (G+3) Aravali Vihar, Bhiwadi					
9	MIG-A (G.F)	03	2510900.00	86.533	8/131, 8/145, 8/225
10	MIG-A (F.F)	06	2363600.00	72.000	8/05, 8/149, 8/182, 8/231, 8/263, 8/278
11	MIG-A (S.F)	08	2326700.00	68.367	8/11, 8/140, 8/188, 8/202, 8/204, 8/266, 8/284, 8/298
12	MIG-A (T.F)	08	2253000.00	61.100	8/13, 8/16, 8/176, 8/239, 8/240, 8/256, 8/272, 8/288

2. आवेदन पत्र के साथ जमा करायी जाने वाली राशि का विवरण:-

क्र. सं.	आवास/ प्लेट की श्रेणी	वार्षिक आय	आवेदन पत्र के साथ देय राशि (रुपयें में)				
			पंजीकरण राशि	पूर्व ग्रहण राशि	कुल राशि	सेवाकर	कुल देय राशि
1	EWS	100000.00 तक	7000.00	5000.00	12000.00	540.00	12540.00
2	LIG	100001.00 से 250000.00 तक	15000.00	10000.00	25000.00	1125.00	26125.00
3	MIG-A	250001.00 से 450000.00 तक	50000.00	40000.00	90000.00	4050.00	94050.00
4	MIG-B	450001.00 से 600000.00 तक	80000.00	70000.00	150000.00	6750.00	156750.00
5	HIG	600001.00 से अधिक	120000.00	100000.00	220000.00	9900.00	229900.00

नोट :-

- आवास/प्लेट का आवंटन "जहां है जैसा है" की अवस्था में किया जावेगा।
- नगद भुगतान पद्धति के आवेदकों को वरीयता दी जावेगी।
- इस योजना की अन्य शर्तें मण्डल की वेबसाईट (<http://www.rhbonline.rajasthan.gov.in>) व कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

विशेष :-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग 'अ' के सफल आवेदक को सोसायटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा तथा उसके लिए सोसायटी राशि क्रमशः रु. 5400.00, 7200.00 व 9000.00 कब्जा प्राप्त करने से पूर्व जमा करवाने होंगे।

-:सम्पर्क सूत्र:-

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल
आशियाना ग्रीन के सामने, भिवाडी
दूरभाष नम्बर :- 01493-230484